<u>अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु वेबसाइट पर प्रदर्शित अपने से सम्बन्धित सूचना को देखने के लिये महत्वपूर्ण निर्देश निम्नलिखित हैं:–</u>

➢ बोर्ड की वेबसाइट http://uppolrecpro.gov.in खोलने पर वेबपेज पर **"उपनिरीक्षक से निरीक्षक ना0पु0 के पद पर प्रोन्नति हेतु आवेदन पत्रों से प्राप्त डाटा का प्रदर्शन तथा आपत्तियों हेतु आवेदन"** पर क्लिक करने पर "निरीक्षक ना0पु0 के पद पर प्राप्त आवेदन पत्र" का पेज खुलेगा। इस पेज पर **यूजर के नाम के स्थान पर अभ्यर्थी द्वारा अपना पी0एन0ओ0 नम्बर** तथा **पासवर्ड के स्थान पर अपनी जन्मतिथि डालकर** लागिन करने पर निरीक्षक ना0पु0 के पद पर प्राप्त आवेदन पत्र का पेज खुलेगा, जिसमें निम्न प्रपत्र देखने/डाउनलोड करने की सुविधा है:–

❖ (अ) ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र की प्रतिलिपि।
❖ (ब) परिशिष्ट–11 की प्रतिलिपि।
❖ (अ) व (ब) पर आधारित परीक्षा हेतु कार्मिक का विवरण।
❖ सेवा विवरण में त्रुटि सम्बन्धी आवेदन पत्र।

➢ इसमें अभ्यर्थी अपनी सूचना को देख लें तथा प्रदर्शित सूचना में कोई त्रुटि परिलक्षित हो रही हो तो त्रुटि निवारण सम्बन्धी प्रपत्र डाउनलोड करके उसमें सही प्रविष्टि अंकित कर आवेदन पत्र भरकर अपने हस्ताक्षर करके अपने कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा। सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष अभ्यर्थी के सेवा अभिलेखों का परीक्षण कर प्रपत्र पर अंकित कर्मचारियों/अधिकारियों के हस्ताक्षर कराकर बोर्ड को त्रुटि निवारण हेतु भेजा जायेगा। प्रपत्र के साथ किसी भी संलग्नक को भेजने की आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र अपने कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से ही बोर्ड को प्रेषित करेंगे। बोर्ड द्वारा सीधे प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

कृपया समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष अपने अधीनस्थ निरीक्षक ना0पु0 के पद पर प्रोन्नति हेतु चयन के सम्बन्ध में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को सूचित करने का कष्ट करें कि वे बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित डाटाबेस में अपने से सम्बन्धित प्रविष्टियों का अवलोकन कर इसमें आवश्यक/शुद्धिकरण हेतु निर्धारित प्रारूप बोर्ड की उक्त वेबसाइट से डाउनलोड करके उस पर अपना प्रार्थना–पत्र कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से बोर्ड को दिनांक 30–09–2011 तक बोर्ड को उपलब्ध करा दें। निर्धारित तिथि के उपरान्त एवं कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से न प्राप्त होने वाले प्रार्थना–पत्र बोर्ड द्वारा स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र एवं पुलिस उप महानिरीक्षक, देवीपाटन परिक्षेत्र से अनुरोध है कि कृपया उपर्युक्त वांछित सूचना अब बिना किसी बिलम्ब के दिनांक 10–09–2011 तक बोर्ड को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

इसके अतिरिक्त उल्लेखनीय है कि यह प्रक्रिया रिट याचिका संख्याः 7768/2009 प्रदीप कुमार श्रीवास्तव व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य, रिट याचिका संख्याः 5686/2009 वीर बहादुर सिंह व अन्य बनाम राज्य सरकार में पारित आदेश दिनांक 14–03–2011, रिट याचिका संख्याः 64886/2009 शिवगोपाल गुप्ता व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 16–08–2010 के विरूद्ध याचीगण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका(सिविल) संख्याः 32592/2010 तथा रिट याचिका संख्याः 1389(एस/बी)/2007 प्रेम कुमार सिंह व अन्य बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 04–01–2011 के संदर्भ में मा0 उच्चतम न्यायालय में दायर एसएलपी संख्याः 3916/2011 उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 बनाम राजेश कुमार व अन्य तथा इससे सम्बद्ध एसएलपी में मा0 उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय के आदेशों के अधीन होगी।